>

Title: Need to provide separate budget for payment of wages to Gram Rojgar Sevaks under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and also provide accident insurance cover to all the workers engaged in MGNREGA scheme.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में संविदा पर कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित किया जाये तथा नियमितीकरण के उपरांत मिलने वाली समस्त सुविधायें भी प्रदान करायी जाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने से आम नागरिकों को तीव्र गति से समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।

मनरेगा अंतर्गत संविदा पर कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों व अन्य कार्मिकों का मानदेय भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय मद से करने की व्यवस्था की गयी है। जो किसी भी रूप से सही नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्रफल वार्षिक लेबर बजट भिन्न-भिन्न होता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यय मद को पांच भागों में बांटा गया है। 1. सोशल आडिट 2. मनरेगा सेल उ0 प्र0, 3. जनपद स्तर, 4. विकास खण्ड, 5. ग्राम पंचायत स्तर। ग्राम पंचायत में 05/- रूपये प्रति मानव दिवस सृजन के आधार पर प्रशासनिक व्यय मद का निर्धारित किया गया है। जबकि ग्राम रोजगार सेवकों को न्यूनतम 3300 /- रू0 मानदेय भुगतान देने का शासनादेश जारी हुआ है। उदाहरण स्वरूप एक ग्राम पंचायत में एक वित्तीय वर्ष में 7920 मानव दिवस सृजित होने पर ही नियत मानदेय 3300/- रू0 प्रतिमाह भुगतान हो पायेगा अर्थात एक वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में 60ः40 के हिसाब से परियोजनाओं पर लगभग 16.5 लाख रूपये व्यय होना चाहिए जो किसी भी दशा में समान रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए संभव नहीं है। इस विसंगति व्यवस्था से किसी भी ग्राम रोजगार सेवक अथवा अन्य कार्मिक का शासनादेशानुसार निर्धारित न्यूनतम मानदेय भुगतान किसी भी दशा में नहीं हो पायेगी।

चूंकि संविदा पर कार्यरत शिक्षामित्रों, आंगनवाडी सहायिकाओं या अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों में मानदेय भुगतान की व्यवस्था प्रशासनिक व्यय मद पर आधारित नहीं है। और उनको समय से मानदेय भुगतान होता रहा है। अतएव रोजगार सेवकों व अन्य मनरेगा कार्मिकों का प्रशासनिक व्यय मद पर आधारित मानदेय भुगतान की व्यवस्था को समाप्त करके प्रत्येक माह न्यूनतम नियत मासिक मानदेय भुगतान हेतु पृथक बजट की व्यवस्था करायी जाये।

देश में आम व्यक्तियों को सरकार द्वारा नःशुल्क बीमा की सुविधा प्रदान की जा रही है, वहीं मनरेगा अंतर्गत पंजीकृत जॉब कार्डधारकों को रोजगार दिलाने में सहायक ग्राम रोजगार सेवक व अन्य मनरेगा कर्मियों को बीमा की सुविधा नहीं है, जो अत्यंत ही खेदजनक है। अतएव ग्राम रोजगार सेवक सहित अन्य संविदा कार्मिकों के पारिवारिक सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा का सुविधा प्रदान करायी जाये।